कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं: हि.अ.8(7)/2023/हिंदी पखवाड़ा/ 355 दिनांक: 18 JUL 2023

सेवा में,

1. सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (जोन) ।
2. निदेशक (पीडीनास)।
3. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासनिक सेवा) मुख्यालय ।
4. सभी प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय ।

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों में 14 सितंबर, 2023 से 29 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने के संबंध में ।

To organize Hindi Fortnight from 14th Sept to 29th Sept, 2023 in all Offices of EPFO

संदर्भ: सुश्री अंशुली आर्या, भा.प्र.से., सचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का अर्ध-शासकीय पत्र संख्या - 11034/06/2023-रा.भा. (नीति) दिनांक: 01.06.2023

महोदय / महोदया,

आप सभी जानते ही हैं कि 14 सितंबर , 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था तथा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के ऊपर संदर्भित अर्ध-शासकीय पत्र संख्या - 11034/06/2023-रा.भा. (नीति) दिनांक: 24.06.2023 (प्रति संलग्न) के अनुसार 14 सितंबर, 2023 को पुणे (महाराष्ट्र) में हिंदी दिवस तथा 14-15 सितंबर, 2023 को तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन किया जाएगा। साथ ही, संगठन के सभी कार्यालयों में 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर,2023 को पुणे (महाराष्ट्र) में होगा तथा समापन 29 सितंबर, 2023 को संबंधित कार्यालय में होगा। विभिन्न प्रतियोगिताएं 16 सितंबर, 2023 के बाद संपन्न कराई जाएं। अपरिहार्य स्थिति में ये प्रतियोगिताएं 1 से 13 सितंबर, 2023 के मध्य आयोजित की जा सकती हैं। आपसे अनुरोध है कि हिंदी पखवाड़े के दौरान नीचे लिखे ब्यौरे अनुसार निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की

जाएं। (प्रतियोगिताओं का ब्यौरा संलग्न है।) प्रतियोगिता के आयोजन की तिथि/ कार्यक्रम सभी कार्यालयों द्वारा अपनी-अपनी सुविधानुसार निर्धारित की जा सकती है।

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार की राशि			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रोत्साहन पुरस्कार
1)	हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
2)	विचार प्रतियोगिता	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
3)	हिंदी निबंध प्रतियोगिता	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
4)	राजभाषा प्रतियोगिता - हिन्दी वर्तनी, राजभाषा अधिनियम - नियम, सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
5)	कंप्यूटर पर हिन्दी का प्रयोग - वर्ड, एक्सल एवं पॉवरपॉइंट	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
6)	कार्यालय द्वारा स्वविवेक से भी 02 (दो) अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है।	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-

इन प्रतियोगिताओं के साथ निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

1. केवल (1) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता तथा (2) हिन्दी टिप्पण- आलेखन प्रतियोगिता में हिन्दी भाषी और गैर हिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार रखे जाने हैं। जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़ या असमिया आदि है, उन्हें गैर-हिन्दी भाषी प्रतियोगी माना जाएगा।
2. केवल कार्यालय के वेतन रोल पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी ही प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
3. विजेताओं को पुरस्कार देने के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि यदि किसी 01 कर्मचारी को एक से अधिक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त होता है, तो उसे केवल वह 2 पुरस्कार दिए जाएं जिनमें उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। 2 पुरस्कारों के बाद उस कर्मचारी से सर्वश्रेष्ठता क्रम में नीचे आने वाले कर्मचारियों को मौका दिया जाए।

4. कोई भी प्रतियोगिता केवल तभी आयोजित की जा सकेगी, जब कम से कम 5 प्रतिभागी उसमें अवश्य भाग लें। यदि 5 से कम प्रतिभागी प्राप्त होते हैं तो प्रतियोगिता का आयोजन न किया जाए।

5. चूंकि उक्त समस्त प्रतियोगिताओं हेतु पुरस्कार राशि बढ़ाने तथा नए दिशा-निर्देश जारी करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कार्यालय के ज्यादा से ज्यादा अधिकारी / कर्मचारी प्रतियोगिताओं में भाग लें तथा बढ़ी हुई पुरस्कार राशि से लाभांवित हों, अतः अनुरोध है कि उक्त अवधि के दौरान एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे समस्त प्रतियोगिताओं में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी उत्साहपूर्वक भाग लें।

तदनुसार, राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 और समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराने के प्रयत्न किए जाएं। सरकारी कार्य में सरल हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए । यह हिंदी सरल, सहज एवं आम जनता की समझ में आने वाली होनी चाहिए। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए :-

- सभी अधिकारी तथा कर्मचारी अपने आपको इस संकल्प के प्रति समर्पित करें कि वे हिंदी पढ़ने, बोलने व लिखने में अपनी प्रतिष्ठा व सम्मान समझेंगे ।
- हिंदी पखवाड़े के अवसर पर कार्यालयों में हिंदीमय वातावरण बनाने के लिए बैनर आदि लगाए जाएं ।
- सामान्य टिप्पणियों और पत्रादि के मसौदे हिंदी में तैयार किए जाएं । इस दिशा में वरिष्ठ अधिकारी स्वयं हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके साथी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इससे हिंदी में कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा ।
- राजभाषा प्रयोग को बढ़ाने के प्रयासों में सरल और स्वाभाविक हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करें ।
- ई-ऑफिस/ई-मेल के माध्यम से हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए तथा अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित करें ।
- हिंदी पखवाड़े के दौरान कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने हेतु एक अपील जारी की जाए ।
- सभी अनुभागों की फाइलों/ई- फाइलों आदि में हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं ।
- मुख्यालय के भी अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को फाइलों/ई- फाइलों में हिंदी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन के लिए प्रोत्साहित करें तथा स्वयं भी हिंदी में टिप्पणी लिखें एवं हिंदी में हस्ताक्षर करें ।

आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में मुख्यालय द्वारा जारी अनुदेशों तथा इस विषय में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या - 11034/06/2023-रा.भा. (नीति) दिनांक: 01.06.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाए । हिंदी पखवाड़े की रिपोर्ट, विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा वितरित पुरस्कारों के साथ-साथ नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत वितरत पुरस्कारों के विवरण को शामिल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को dir.ol@epfindia.gov.in पर 15 अक्टूबर, 2023 तक अवश्य भेज दी जाए।

भवदीया,

अनुलग्नक : यथोपरि

(वीना टम्टा भाटिया)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)
एवं प्रभारी (राजभाषा)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के स्टाफ अधिकारी
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी / वि. सलाहकार एवं मु.ले.अधि. के निजी सचिव।
3. मुख्यालय के सभी अधिकारी ।
4. उप निदेशक (राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
5. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, एन.डी.सी. को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

(वीणा रानी यादव)
निदेशक (राजभाषा)

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अ.शा. पत्र सं 11034/06/2023-राजभाषा (नीति) दिनांक : 01 जून, 2023

आदरणीय महोदय / महोदया

विषयः 14-15 सितंबर, 2023 को पुणे (महाराष्ट्र) में हिंदी दिवस, तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं वर्ष 2023 के हिंदी पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस 2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन सूरत, गुजरात में किया गया था। दो दिवसीय इस अत्यंत सफल आयोजन में देश भर के 10 हजार से ज्यादा हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की। राजभाषा विभाग द्वारा किया गया यह आयोजन संविधान सभा द्वारा सौंपे गए संवैधानिक उत्तरदायित्वों और संविधान की भावना के अनुरूप तथा प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना की नीति के साथ, राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करने और इसके प्रयोग को बढ़ाने का प्रयास था।

2. पिछले वर्ष की भाँति, इस वर्ष भी हिंदी दिवस एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन अत्यन्त भव्य एवं गरिमामयी रूप में किया जाएगा। **माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2023 को हिंदी दिवस तथा 14 एवं 15 सितंबर, 2023 को तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन पुणे (महाराष्ट्र) में होगा।**

3. हिंदी का उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने और इस कार्यक्रम में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति को देखते हुए, अनुरोध है कि सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/उपक्रम/निगम/बोर्ड आदि हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम 14 से 29 सितंबर के दौरान ही मनाना सुनिश्चित करें और विभिन्न प्रतियोगिताएं इसी अवधि के दौरान आयोजित करें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार बनाई जाए कि प्रत्येक कार्यालय के **हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र से हो और समापन 29 सितंबर, 2023 को संबंधित कार्यालय में हो।** मंत्रालयों/विभागों आदि में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताएं 16 सितंबर के बाद संपन्न कराई जाएं। अपरिहार्य स्थिति में ये प्रतियोगिताएं 1 से 13 सितंबर, 2023 के मध्य आयोजित की जा सकती हैं। मंत्रालय /विभाग/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/उपक्रम/निगम/बोर्ड इत्यादि अपनी सुविधानुसार इस अवधि के उपरांत हिंदी माह भी आयोजित कर सकते हैं। इस दौरान इस तरह के आयोजन किए जाएं, जो अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी भाषा के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों का यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि हिंदी में मौलिक कार्य जैसे टिप्पणी, मसौदे एवं पत्राचार को बढ़ाया जा सके।

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

4. सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी कार्मिकों को राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 और समय समय पर राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया जाए। साथ ही सरकारी कार्य में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राजभाषा नीति जो कि, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना पर आधारित है, के संबंध में चर्चा की जाए। अधिकारियों/कार्मिकों को स्वदेशी सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ 2.0' के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वे राजभाषा अधिनियम, नियम तथा इनके अंतर्गत समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

5. आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग के राजभाषा से जुड़े सभी अधिकारियों/अनुवादकों एवं मंत्रालय के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पुणे में होने वाले हिंदी दिवस एवं तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने का निर्देश दें (संबंधित विस्तृत जानकारी राजभाषा विभाग की साइट rajbhasha.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।) कृपया सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों /बैंकों/उपक्रमों/बोर्डों/निगमों आदि को भी ऐसे ही निर्देश मंत्रालय की ओर से जारी किए जाएं। उनके राजभाषा अधिकारी भी अनिवार्य रूप से 14-15 सितंबर, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करें।

सादर

शुभेच्छु,

अं आर्या 1/6

(अंशुली आर्या)

<u>भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव</u>